

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2880

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

2880. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के अधिष्ठापन के प्रभाव का आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या भारत के प्रस्तावित कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों में से 40 प्रतिशत से अधिक द्वारा देश के पानी की खपत को दोगुना करने की संभावना है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या 'ग्रीनपीस इंटरनेशनल' ने कहा है कि प्रस्तावित कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों के निर्माण के कारण देश के अधिकांश राज्यों में पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात विद्युत संयंत्र स्थापित करना एक लाइसेंस-मुक्त कार्यकलाप है। इस प्रकार नई ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तथापि संयंत्र के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) मंजूर करते समय नदियों/जलाशयों से जल के आवंटन के लिए उत्तरदायी संबंधित राज्य/केन्द्रीय एजेंसियों के जरिये विकासकर्ता

द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। ताप विद्युत संयंत्रों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) द्वारा विनिर्दिष्ट जल खपत मानदण्डों को पूरा करना होता है।

(ड) : उक्त ग्रीन पीस इन्टरनेशनल रिपोर्ट को विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नहीं देखा गया है।

(च) : ताप विद्युत संयंत्रों में जल की खपत में कमी करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:-

- i. ताप विद्युत संयंत्रों में जल के प्रयोग के बारे में दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के तहत एमओईएफएण्डसीसी द्वारा प्रकाशित नए जल खपत मानदण्डों का अनुपालन।
- ii. टैरिफ नीति, 2016 ताप विद्युत संयंत्रों जो 50 किलोमीटर के परिधि में स्थित हैं, द्वारा नगर पालिका/स्थानीय निकायों के मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से शोधित मलजल का प्रयोग अनिवार्य करती है। सभी ताप विद्युत संयंत्रों को, जहां संभव हो, कूलिंग प्रयोजन के लिए एसटीपी जल का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
- iii. ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा निम्नलिखित जल संरक्षण उपाय भी किए जा रहे हैं:-

- क. **एश वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम**- राख तालाब से जल प्राप्त किया जाता है और सिस्टम में पुनः प्रयोग किया जाता है।
- ख. **ड्राई फलाई एश हैंडलिंग सिस्टम तथा हाई कन्सन्ट्रेशन स्लेरी डिस्पोजल सिस्टम (एचसीएसडी)**- ये एश हैंडलिंग तकनीकें एश हैंडलिंग जल आवश्यकता को कम करती हैं जिससे जल की खपत घटती है।
- ग. **जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम**- संयंत्र में उत्पादित सारे अपशिष्ट जल को शोधित करने तथा खपत वाली जल प्रणाली में पुनः चक्रण करने से जल की खपत कम होती है।
- घ. **ऑपरेटिंग कूलिंग टावर्स एट हायर साइकिल ऑफ कंसन्ट्रेशन (सीओसी)**: यह संयंत्र द्वारा उत्पादित अपशिष्ट जल में कमी करता है। यह उत्पादित अपशिष्ट जल कम ग्रेड के प्रयोगों जैसे एश हैंडलिंग, कोयला धूल पर छिड़काव करने तथा बागवानी आदि के लिए प्रयोग किया जाता है।
- ङ. जल की कमी वाले क्षेत्र में कूलिंग प्रयोजन के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में एयर कूल्ड कंडेंसरों की सिफारिश की जाती है।
